R - 4121 - III /14

राकेश पाल तनय श्री रामसहोदर पाल निवासी ग्राम सलैया, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)

.... निगरानीकर्ता / आवेदक

श्री विजयमणि द्विवेदी एड के द्वारा आज दिनांक 19-11-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

अनीश पाल तनय श्री जगदीश पाल, निवासी ग्राम सलैया थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)

.... गैर निगरानीकर्ता / अनावेदक

क्रमांक 3841
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त
5-12-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील हनुमान जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 100 / अ–6 / 2013–14 पारित आदेश दिनांक 26.09.2014 ।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

मान्यवार,

निगरानी के आधार निम्न है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4121–तीन/2014 जिला रीवा

राकेश पाल विरूद्ध अनीश पाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 100/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ याचिका के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि के संबंध में एक प्रकरण आवेदक राकेश पाल द्वारा दिनांक 5–12–12 को हुई वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया तथा एक प्रकरण अनावेदक अनीश पाल द्वारा दिनांक 10–12–13 को वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में पेश किया। दिनांक 26–9–14 को तहसीलदार ने पक्षकार एवं भूमियां एक ही होने के कारण दोनों प्रकरण एक साथ संलग्न करने के आदेश दिये तथा अनीश पाल के आवेदन में राकेश पाल को अनावेदक के रूप में संयोजित किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यइ निगरानी पेश की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक द्वारा दो अलग अलग वसीयत के आधार पर दो नामांतरण प्रकरण दायर किये थे। तहसीलदार ने अपने आदेश में दोनों प्रकरणों में	

R 4121-III/14 रीवा

प्रकरण कमांक निगरानी 4179–तीन/2014 जिला सतना

रामरक्षा शुक्ला विरूद्ध बृजलाल

भूमि एवं पक्षकार एक होने के कारण सुनवाई हेतु संलग्न किये हैं। प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है और दोनों पक्षकारों की ओर से वसीयत प्रस्तुत की गई हैं, अतः तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को अनियमित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक अनीश पाल के प्रकरण में राकेश पाल को पक्षकाकर बनाये जाने एवं राकेश पाल के प्रकरण में अनीश पाल को अनावेदक के रूप में संयोजन नहीं किये जाने के तर्क का प्रश्न है तहसीलदार को यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिस प्रकार अनीश पाल के प्रकरण में राकेश पाल को अनावेदक के रूप में संयोजित किया है, उसी प्रकार राकेश पाल के प्रकरण में अनीश पाल को अनावेदक के रूप में संयोजित कर दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई करने के उपरांत गुण–दोष के आधार पर निराकरण करें। प्रकरण का निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य